म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहाँगीराबाद, भोपाल

विपणन संघ

(ऑनलाईन प्रथम निविदा दस्तावेज)

मेनपावर हेतु आउटसोर्सिंग

निविदा दस्तावेज

वर्ष 2018–19

विपणन संघ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालयः जहांगीराबाद, भोपाल पिन–कोड नं 462008

क्रमांक/वि.संघ/कम्प्यू0/10979/2018–19 भोपाल, दिनांक 19-2-2018

मेनपावर आउटसोर्सिंग हेतु सेवा प्रदाता ऐजेन्सी की आवश्यकता हेतु ई–निविदा आमंत्रण सूचना

विपणन संघ में समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूँ खरीदी व अन्य व्यवसायिक कार्यो के लिए आवश्यकता अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटर, प्रोग्रामर, सहा0प्रोग्रामर, टैली कंसलटेंट, वित्तीय सहायक, गुणवत्ता नियंत्रक एवं वाहन चालक हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी से कार्य संपादन हेतु प्रथमतः एक वर्ष के लिए आवश्यकता है जिसमें आवश्यकतानुसार वृद्वि की जा सकेगी। इच्छुक प्रदाता एजेन्सी राशि रू. 2000/– प्रति फार्म का ई–टेण्डर के वेबपोर्टल पर ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 20–02–2018 से 12–03–2018 समय 04.00 बजे तक कय कर सकेगी। निविदा फार्म संघ की वेबसाईट www.mpmarkfed.mp.gov.in पर केवल अवलोकन हेतु डाउनलोड किया जा सकता है । बिना कारण बताए कोई एक या सभी निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

संचिव 19/2/18

निविदा दस्तावेज
2018–2019
विषय सूची

सरल क्र.	विवरण	पेज क्रमांक
1	2	3
1.	निविदा बावत जानकारी	04
2	निविदाकार कार्य अवधि, निविदा के उद्देश्य, निविदा कार्य का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण	05–11
3	अनुबंध पत्र	12–16
4	प्रपत्र (1) निविदाकार विवरणी	17–18
5	प्रपत्र–(2) वित्तीय निविदा	19
6	प्रपत्र– (3) घोषणा पत्र	20
7	प्रपत्र– (4) प्रदाय किये जाने वाले मानव संसाधनों का विवरण	21
8	प्रपत्र– (5) अनुभव के संबंध	22

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

मुख्यालयः जहांगीराबाद, भोपाल पिन–कोड नं 462008

ई–निविदा सूचना

विपणन संघ अपने मुख्यालय, मंडल कार्यालयो, जिला कार्यालयो एवं गोदाम केन्द्रो में आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूँ खरीदी व अन्य व्यवसायिक कार्यो के लिए आवश्यकता अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटर, प्रोग्रामर, सहा0प्रोग्रामर, वित्तीय सहायक, टैली कंसलटेंट, गुणवत्ता नियंत्रक एवं वाहन चालक हेतु सेवा प्रदाता संस्था की आवश्यकता हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की है। न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकार वेबसाइट http://www.mpeproc.gov.in पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज है।

कं.	विवरण	समय
1.	निविदा दस्तावेज की अवलोकन हेतु उपलब्धता	यह निविदा दस्तावेज विपणन संघ की वेब साईट www.mpmarkfed.mp.gov.in पर सिर्फ अवलोकन– अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया गया है ।
2.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय हेतु उपलब्धता	निविदा दस्तावेज वेबसाइट http://www. mpeproc.gov.in से निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित तिथी व समय तक कय मूल्य रू. 2000 + प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन ही जमा कर प्राप्त किया जा सकता है ।
3	Pre-bid meeting	दिनांक 07.03.2018 समय दोपहर 12.00 बजे से विपणन संघ मुख्यालय, भोपाल में
4	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि व दिनांक	निविदा दस्तावेज वेबसाईट http://www. mpeproc.gov.in से दिनांक 12–03–2018 समय दोपहर 04.00 बजे तक क्रय मूल्य ऑनलाईन ही जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
5	ऑनलाइन निविदा जमा करने हेतु अंतिम दिनाँक एवं समय	निविदा वेबसाइट http://www.mpeproc.gov.in से दिनांक 13–03–2018 समय 05.00 बजे तक आनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी ।
6	निविदा खोले जाने की तिथी एवं समय	1. तकनीकी बिड ऑनलाइन दिनांक 14–03–2018 समय प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। 2. फायनेंशियल बिड ऑनलाइन दिनांक 16.03..2018 व समय प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी।

निविदाकार के लिए निर्देशः–

1. सभी इच्छुक एवं आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकारों को ई–निविदा पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. ऑनलाईन निविदा जमा करने के लिए निविदाकारों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। डिजिटल सर्टिफिकेट संबंधित जानकारी एवं निविदा प्रकिया ऑनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 18002588684 पर सुबह 10.00 बजे से सांय 7.00 या eproc_helpdesk@mpsdc.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंसियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तिथी व समय पर खोली जावेंगी ।

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल

विपणन संघ

निविदा दस्तावेज

(1) कार्य का परिचयः—

विपणन संघ अपने मुख्यालय, मंडल कार्यालयो, जिला कार्यालयो एवं गोदाम केन्द्रो के लिये समय—समय पर मानव संसाधन व्यवस्था के लिये कर्मी उपलब्ध कराने वाली प्रतिष्ठित एजेन्सी (निविदा प्रत्रक में इन्हें निविदाकार/सेवा प्रदाता एजेन्सी के नाम से संबोधित किया गया है) से निविदा प्रपत्र की शर्तो के अंतर्गत ऑनलाईन ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। विपणन संघ को मानव संसाधन के लिये कर्मी की आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है साथ ही लेपटॉप सहित मानवसंसाधन की भी आवश्यकता होती है। जिसकी अनुमानित संख्या कार्य की आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा होना संभावित होता है।

(2) कार्य का विवरणः—

सेवा प्रदाता एजेन्सी को विपणन संघ में समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ खरीदी व अन्य विभिन्न व्यवसायिक कार्यो के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करनी होगी।

(3) मानव संसाधन व्यवस्था हेतु कर्मियों की योग्यताः—

क्र.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 50 प्रतिशत अंक के साथ—PGDCA/DCA/CPCT	किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रायवेट संस्था में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।
डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यो का विवरणः— 1. डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा आदेशित गेहूं, धान, खाद व अन्य सॉफ्टवेयर पर कार्य करना तथा आदेशित कार्य जैसे एम0एस0ऑफिस विशेषतः वर्ड,एक्सल, पावरप्वाईट में कार्य करना, हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिग एवं इंटरनेट रिलेटेड ई—मेल से संबंधित कार्य पूर्ण करेगा।			

क्र.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
2	प्रोग्रामर एवं सहा0प्रोग्रामर	बी0ई0 (कम्प्यूटरसांईस/आई0टी0) अथवा एम0सी0ए0 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना	1. सहा. प्रोग्रामर के लिए कम से कम दो वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव 2. प्रोग्रामर के लिए कम से कम तीन वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव

क्र.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
3	टैली कंसलटेंट	किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सी.ए. इंटर/आई.सी. डब्ल्यू.ए. इंटर/एम.कॉम साथ में PGDCA/DCA	लेखांकन पद्धति, टैली लेखांकन, कम्प्यूटर में लेखांकन कार्य (वर्ड एवं एक्सल आदि) का ज्ञान एवं जी0एस0टी नियम एवं लेखांकन की पूर्ण जानकारी

			के साथ कार्य अनुभव होना आवश्यक है।

कं.	पदनाम	योग्यता
4	**वित्तीय सहायक**	मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग से समन्वय हेतु वित्त कोष एवं लेखा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।

कं.	पदनाम	योग्यता
5	**गुणवत्ता नियंत्रक**	भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उपकम भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डार गृह निगम/स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गुणवत्ता नियंत्रक विंग से सेवानिवृत्त अधिकारी

कं.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
6	**वाहन चालक**	1.आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2.चार पहिया वाहन लाईसेंस	किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/ प्राईवेट संस्थान में वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव

(IV) **सेवा प्रदाता की आवश्यक न्यूनतम अर्हतायें :-**

1. निविदाकार का मेनपावर आउटसोसिंग से वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में 03 वर्षो का **औसत टर्नओवर न्यूनतम 3 करोड़** होना चाहिए। निविदाकार को टर्नओवर प्रमाणित करने हेतु तीन कार्यशील वर्षो का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित मेनपावर आउटसोसिंग से प्रतिवर्ष का कुल आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. कार्यानुभवः–

   2.1– केंद्र शासन की संस्था/म.प्र.शासन की संस्था/म.प्र.शासन के उपकम/सार्वजनिक उपकम एवं निजी क्षेत्र में मानव संसाधन प्रदाय करने का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यअनुभव प्रमाणित करने हेतु भविष्य निधि का पंजीयन दस्तावेज एवं प्रपत्र–5 भरकर उसके साथ स्वप्रमाणित कार्य आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
3. निविदाकार किसी शासकीय/अर्द्वशासकीय विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज या अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। स्वच्छ छबि बाबत् स्वघोषणा शपथ पत्र संलग्न करे।
4. निविदाकार को आयकर निर्धारित (income tax assessee) होना आवश्यक होगा। गत 3 वर्षो की आयकर विवरणियां प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदाकार का भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं जी0एस0टी0एन0 में पंजीकृत होना आवश्यक होगा (पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है)।
6. भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा सर्विस टैक्स की वर्ष 2017 की चालान की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. जिस निविदाकार के नाम से निविदा प्राप्त होगी उसी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किये जायेगें। कंसोर्शियम मान्य नही किया जावेगा।
8. सेवा प्रदाता एजेन्सी का भोपाल में कार्यालय संचालित होना चाहिये ताकि मार्कफेड द्वारा मुख्यालय स्तर पर जिलों में पदस्थ मेनपावर की समस्याओं का निराकरण किया जा सकें।

9. **उक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी प्रपत्र–1 अनुसार भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ताकि तकनीकी निविदा का आंकलन तद्अनुसार किया जा सके। प्रपत्र–1 में वाछित दस्तावेजों के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।**

(V) सेवा प्रदाता की आवश्यक अर्हतायें एवं अपलोड किये जाने वाले वित्तीय दस्तावेजः–

1. निविदाकार को प्रपत्र–2 में "सेवा प्रभार" की राशि प्रति मेनपावर के दर से अंकित किया जाना होगा एवं यदि अंको एवं शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेगी।
2. न्यूनतम रूपये 400 से कम "सेवा प्रभार" की निविदा अमान्य होगी। **वित्तीय निविदा के प्रपत्र–2 के दोनों बिन्दुओं में दरे अंकित करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।**
3. मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के लिए आवश्यकता अनुसार केवल मानव संसाधन अथवा मानव संसाधन के साथ–साथ लेपटॉप की सेवाये किराये पर ली जा सकती है।

(VI) अमानत राशिः–

1. निविदा दस्तावेज के साथ अमानत राशि रूपये 2,00,000/–(दो लाख) वेबपोर्टल www.mpeproc.gov.in में ई–पेंमेट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा।
2. निविदाकार को अमानत राशि जमा करने की ई–रसीद की स्केन कॉपी अनिवार्य रूप से वेबपोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त माना जायेगा।
3. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर उसकी अमानत राशि रू0 2,00,000/– (दो लाख) अनुबंध अवधि तक सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप मे जमा रहेगी। जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। परफारमेंस निर्धारित शर्तो के अनुरुप नही पाये जाने की स्थिति में उक्त राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।
4. असफल निविदाकार की अमानत राशि सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध कर लिये जाने के उपरांत उनके द्वारा वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराये गये बैंक खाते पर उक्त राशि ऑनलाईन वापस कर दी जायेगी।
5. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा दी गई दरें निविदा खोलने के दिनांक से 3 माह हेतु वैध होगी। दरों की वैधता अवधि में कार्यादेश स्वीकार नही करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा विपणन संघ के पास जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

(VII) सामान्य नियम एवं शर्ते

1. सेवाप्रदाता एजेन्सी से निष्पादित अनुबंध की शर्त अनुसार अनुबंध प्रथमतः अनुबंध अवधि की दिनांक से आगामी एक वर्ष तक वैध होगा। इस समयावधि में दोनो पक्षों की सहमति से वृद्वि की जा सकती है।
2. विपणन संघ द्वारा लिखित सूचित किये जाने के 7 कार्यालयीन दिवस में निविदादाता द्वारा निर्धारित स्थानों पर मेनपावर/मेनपावर लेपटॉप सहित पदस्थ कर दिये जायेंगे।
3. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर जिस कार्य के लिए पदस्थ किये गये है उस कार्य में अक्षम पाये जाने पर निविदादाता को 2 कार्यालयीन दिवस में उनके स्थान पर नये मेनपावर पदस्थ करने होगे। अन्यथा बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार कटौता किया जावेगा।

4. कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 7 दिवस तक निविदादाता द्वारा मेनपावर की नियुक्ति नही किये जाने की दशा में या बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 200/– की दर से कटौत्रा किया जायेगा। यह कटौत्रा देयक में से या अमानत राशि में से किया जा सकेगा।
5. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर के द्वारा विपणन संघ की संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाना सिद्ध होने पर निविदादाता द्वारा संबंधित नुकसान की तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार भरपायी की जावेगी।
6. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर 18 वर्ष से अधिक उम्र के एवं 45 वर्ष की आयु से अधिक के न हों (केवल वित्त सहायक, गुणवत्ता नियंत्रक को छोड़ कर)।
7. विपणन संघ द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर मेनपावर की संख्या बढायी जाती है तो उस स्थिति में निविदादाता को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उसी प्रकार यदि विपणन संघ द्वारा मेनपावर की संख्या घटायी जाती है तो भुगतान भी तदनुसार ही किया जावेगा।
8. अनुबंध अवधि के दौरान शासन द्वारा सेवा प्रदाता को मेनपावर के हित में कोई नई Welfare Scheme प्रारंभ की जाती है तो उस पर आने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेंगा।
9. निविदाकार द्वारा पदस्थ किए गये मेनपावर निविदाकार के ही स्टाफ होंगे एवं उनके द्वारा रोजगार हेतु विपणन संघ पर किसी प्रकार के क्लेम स्वीकार्य नहीं होंगे।
10. कार्य के दौरान यदि मेनपावर किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व एजेंसी का होगा।
11. एजेन्सी, श्रम कानूनों का पालन के लिये स्वंय जवाबदार रहेगी एवं उसें आवश्यक पंजीयन, संबंधित विभाग से प्राप्त कर, अनुबंध किये जाने के एक माह की अवधि में अनुबंधकर्ता संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेगे जिसके पालन करने की पूरी जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
13. सेवा प्रदाता एजेन्सी को निम्नानुसार मापदण्ड वाले लेपटॉप किराये पर उपलब्ध कराना होगाः–

क्रं.	आयटम	मापदण्ड
1	लेपटॉप	i3 Processor, 1TB HDD, 4 GB RAM with Window 7 and above

14. बिन्दु क्रमांक 13 अनुसार उपलब्ध कराये गये लेपटॉप के रख–रखाव का दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी का स्वंय का होगा।

(VIII) मेनपावर को किये जाने वाले भुगतान एवं अवकाश के नियमः–

1. निविदाकार द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावरों को श्रमायुक्त कार्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर परिवर्तित पारिश्रमिक दरे देय होगी।
2. सेवा प्रदाता एजेन्सी अपने समस्त मैनपावरों को न्यूनतम वेतन एक्ट के प्रावधान के अनुसार मासिक परिश्रमिक/अन्य दायित्व समस्त भुगतान किए जाने के उपरांत **"स्वघोषणा पत्र"**

संलग्न कर अपने मासिक देयक के साथ प्रतिमाह की 7 तारीख तक विपणन संघ मुख्यालय भोपाल में जमा करना होगा।

3. एजेन्सी के द्वारा अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ समस्त मेनपावर के पारिश्रमिक का भुगतान KYC धारित Account में NEFT/RTGS माध्यमों से ही किया जावेगा। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा।
4. निविदादाता द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये कर्मचारी का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं सेवाकर का भुगतान संबंधित शासकीय विभागो को किया जावेगा एवं प्रतिमाह के देयक के साथ उक्त भुगतानो से संबंधित दस्तावेज विपणन संघ को उपलब्ध कराना होगें।
5. निविदादाता द्वारा प्रति माह के देयक के साथ विगत माह मेनपावर का EPF एवं ESIC मद में जमा किये गये बैंक चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा देयक का भुगतान संघ मख्यालय से किया जावेगा।
6. **यदि किसी भी मेनपावर द्वारा एजेंसी से कम भुगतान प्राप्त होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, तो श्रम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।**
7. सर्विस प्रदायकर्ता को आवश्यकतानुसार सप्ताह के सातो दिवस कार्य करना होगा।
8. उपलब्ध कराये गये मेनपावर को सप्ताह में केवल एक साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। कार्यालयीन आवश्यकता होने पर उन्हे अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है जिसके लिये उन्हे किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की पात्रता नही होगी।
9. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मेनपावर को माह में एक दिवस का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा एवं यह अपेक्षित होगा कि वह यदि कार्य से एक दिवस से अधिक अनुपस्थित होना/अवकाश पर जाना चाहता है तो वह इसकी पूर्व सूचना मुख्यालय को सात दिवस पूर्व दे तथा निविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यदि अकस्मात अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थिति की सूचना के सात दिन के भीतर निविदाकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी/अनुपस्थिति की अवधि हेतु निविदाकार को कोई भुगतान देय नहीं होगा परंतु सूचना के 07 दिन के उपरांत भी वैकल्पिक तौर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर ऐसे प्रत्येक दिवस हेतु प्रति दिन रूपये 200 की पेनल्टी लगायी जाएगी, जो कि निविदाकार के अगले देयक भुगतान में से वसूल की जाएगी।
10. संघ के प्रबंध संचालक को सेवा प्रदाता की निविदा निरस्त एवं स्वीकार करने का अधिकार होगा।
11. निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध की शर्ते पृथक से संलग्न है।
12. विपणन संघ में पूर्व एजेन्सी के माध्यम से पदस्थ मेनपावर को यथावत कार्यरत रखना होगा।
13. निविदा की जानकारी विपणन संघ की वेबसाईट www.mpmarkfed.mp.gov.in पर मात्र अवलोकन हेतु उपलब्ध है। ई–निविदा प्रकाशन उपरांत निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो केवल संघ की वेबसाईट ई–निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा।
14. विपणन संघ द्वारा आमंत्रित निविदा के कियान्वयन में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निविदाकार द्वारा संघ के सचिव को विवाद संबंधी वस्तुस्थिति (आवश्यक दस्तावेजों सहित) प्रस्तुत की जावेगी। सचिव द्वारा निविदाकार की प्रस्तुत वस्तुस्थिति अभिमत सहित संघ के प्रबंध संचालक के समक्ष प्रस्तुत कर निराकरण कराया जावेगा। प्रबंध संचालक द्वारा विवाद के संबंध में लिया गया निर्णय निविदाकार को मान्य व बंधनकारी होगा।
15. प्रबंध संचालक द्वारा विवाद संबंधी निर्णय से निविदाकार के असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण पर अंतिम निर्णय आर्बीट्रेटर पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, भोपाल द्वारा लिया जावेगा।

(IX) चयन प्रकिया

1. तकनीकी निविदा खोलने के उपरांत सर्वप्रथम ऑनलाईन अमानत राशि की ई–रिसिप्ट की जांच की जायेगी। ई–रिसिप्ट प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. तकनीकी निविदा का आंकलन बिन्दु कमांक IV में उल्लेखित **"सेवा प्रदाता की आवश्यक न्यूनतम अर्हतायें"** के अनुसार तकनीकी निविदा का आंकलन कर जो निविदाकार आवश्यक न्यूनतम अर्हताओं की पूर्ति करते है केवल उन्ही निविदाकारों का तकनीकी मूल्यांकन किया जावेगा।
3. तद्उपरांत बिन्दु कमांक X में तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग शीट अनुसार निविदाकार का स्कोर कार्ड तैयार किया जावेगा।
4. तकनीकी रूप से सभी सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा का मूल्याकंन बिन्दु कमांक– XI में वित्तीय निविदा मूल्यांकन प्रकिया अनुसार किया जावेगा।
5. तकनीकी मूल्यांकन से प्राप्त अंक में वित्तीय निविदा से प्राप्त अंक को जोड़ कर कुल प्राप्त अंक निकाला जावेगा। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले निविदाकार को चयनित किया जावेगा।

(X) तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग शीट

कं.	निविदाकारों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी	मापदंड	अधिकतम अंक	आवश्यक दस्तावेज	निविदाकर्ताओं को प्राप्त अंक
1	कार्यानुभव मानव संसाधन प्रदाय करने का	कार्यानुभव 03 वर्ष के लिए– 05 अंक 03 वर्ष से अधिक प्रति वर्ष के लिए– अतिरिक्त 01 अंक	10	कार्यानुभव गणना हेतु भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन कमांक एवं दिनांक दस्तावेज की छायाप्रति एवं प्रपत्र–5	
2	निविदाकार द्वारा वर्ष 2016–17 में जिन संस्थाओं में मानवसंसाधन प्रदाय किये गये उनकी संख्या	01 अंक प्रति संस्था	05	स्वप्रमाणित कार्यादेशों की प्रतिलिपि	
3	विगत 03 वर्षो का कुल औसत टर्नओवर वर्ष 2014–15 रू................ करोड़ वर्ष 2015–16 रू................ करोड़ वर्ष 2016–17 रू................ करोड़ औसत टर्नओवर = रू............ करोड़	03 करोड से 05 करोड़ तक – 5 अंक 05 करोड़ से ज्यादा और 08 करोड़ तक– 7 अंक 08 करोड़ से ज्यादा– 10 अंक	10	चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित सर्टिफाईड प्रमाण–पत्र (03 वर्ष) केवल लाभ हानि पत्रक संलग्न करें	
4	दिनांक 31.03.2017 तक विभिन्न संस्थाओं में प्रदाय किये गये मेनपावर की कुल संख्या	100 मेनपावर तक लिए–02 अंक 100 से 500 तक के लिए– 03 अंक 500 से अधिक के लिए– 5 अंक	05	मार्च 2017 की ई.पी. एफ.ओ. रिटर्न की प्रतिलिपि	
		कुल अंक	**30**		

(XI) **वित्तीय निविदा मूल्यांकन प्रक्रियाः–**

a. निविदा का आंकलन QCCB (Quality Cum Cost Basis) मॉडल अनुसार किया जावेगा। जिसमें तकनीकी निविदा को 30% एवं वित्तीय निविदा को 70% का महत्व दिया जावेगा।

b. **वित्तीय निविदा का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रकिया का पालन किया जावेगाः–**

- वित्तीय निविदा प्रपत्र–2 में बिन्दु कमांक–1 एवं 2 में भरे गये दर को जोड़कर कुल दर जिस निविदाकार की न्यूनतम होगी उसे न्यूनतम निविदाकार माना जावेगा जिसे निम्न अनुसार स्कोर दिया जावेगा।
- न्यूनतम वित्तीय निविदाकार को 70 अंक दिये जावेगे एवं अन्य निविदाकारों के अंक की गणना नीचे दर्शित फार्मूले से की जावेगीः–
  वित्तीय निविदा से प्राप्त अंक = (न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रस्तुत **कुल दर/जिस निविदाकार का मूल्यांकन किया जा रहा है उसके द्वारा प्रस्तुत **कुल दर) X 70

1. केवल मानवसंसाधन प्रदाय करने के लिए सेवा प्रभार का दर (न्यनतम राशि रूपये 400/–)	A
2. प्रति लेपटॉप उपलब्ध कराने का किराया प्रतिमाह (राशि में)	B
** कुल दर	(A+B)

c. तकनीकी मूल्यांकन से प्राप्त अंक में वित्तीय निविदा से प्राप्त अंक को जोड़ कर कुल प्राप्त अंक निकाला जावेगा। सबसे अधिक कुल प्राप्त अंक वाले निविदाकार को L1 घोषित कर चयनित किया जावेगा।

d. वित्तीय ऑफर में समान दरें प्राप्त होने की स्थिति में तकनीकी मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक वाले निविदाकार का चयन किया जावेगा। यदि तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय ऑफर में समान अंक है तो ऐसे निविदाकार का चयन किया जावेगा जिसका विगत वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या ई0पी0एफ0 सूची अनुसार सर्वाधिक हो एवं निविदा जारी करने के पूर्व उसकी म.प्र. में सर्वाधिक शाखाएं हो।

19/2/18

सचिव

अनुबंध

सफल निविदाकार को विपणन संघ के साथ नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार अनुबंध करना होगा।

यह अनुबंध म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 जहांगीराबाद भोपाल (जिसे आगे प्रथम पक्ष के रूप में जाना जायेगा) तथा (सफल निविदाकार का नाम) जिसका पता (सफल निविदाकार का पता) है (उन्हे आगे द्वितीय पक्ष के रूप में जाना जायेगा) के मध्य निष्पादित हुआ।

यह कि

प्रथम पक्ष मार्कफेड द्वारा अपने मुख्यालय, जिलो एवं मंडल कार्यालयो एवं गोदाम केन्द्रों में मेनपावर/मेनपावर के साथ लेपटॉप हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों की सेवायें प्राप्त करने हेतु निविदा सूचना जारी की गई थी एवं प्राप्त निविदाओ में चयनित होने पर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा कार्यादेश जारी किया जावेगा।

प्रथम पक्ष के द्वारा जारी किये गये कार्यादेश को स्वीकार करते हुए चयनित एजेन्सी द्वितीय पक्ष ने निविदा दस्तावेज में उल्लेखित निम्न नियम एवं शर्तो पर अपनी सहमति दी है।

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा मेनपावर आउटसोसिंग हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी की सेवायें प्राप्त करने के लिए जो निविदा दस्तावेज जारी किया है, वह एवं द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव इस अनुबंध का अविभाज्य भाग है।

2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कार्यालयो में निम्न अर्हता धारित करने वाले मेनपावर दिये जायेंगे:–

कं.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 50 प्रतिशत अंक के साथ–PGDCA/DCA/CPCT	किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रायवेट संस्था में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।
डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यो का विवरण:–			
2. डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा आदेशित गेहूं, धान, खाद व अन्य सॉफ्टवेयर पर कार्य करना तथा आदेशित कार्य जैसे एम0एस0ऑफिस विशेषतः वर्ड,एक्सल, पावरप्वांईट में कार्य करना, हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिग एवं इंटरनेट रिलेटेड ई–मेल से संबंधित कार्य पूर्ण करेगा।			

कं.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
2	**प्रोग्रामर एवं सहा0प्रोग्रामर**	बी0ई0 (कम्प्यूटरसांईस/आई0टी0) अथवा एम0सी0ए0 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना	3. सहा. प्रोग्रामर के लिए कम से कम दो वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव 4. प्रोग्रामर के लिए कम से कम तीन वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव

क्रं.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
3	टैली कंसलटेंट	किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सी.ए. इंटर/आई.सी. डब्ल्यू.ए. इंटर/एम.कॉम साथ में PGDCA/DCA	लेखांकन पद्धति, टैली लेखांकन, कम्प्यूटर में लेखांकन कार्य (वर्ड एवं एक्सल आदि) का ज्ञान एवं जी0एस0टी नियम एवं लेखांकन की पूर्ण जानकारी के साथ कार्य अनुभव होना आवश्यक है।

क्रं.	पदनाम	योग्यता
4	वित्तीय सहायक	मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग से समन्वय हेतु वित्त कोष एवं लेखा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।

क्रं.	पदनाम	योग्यता
5	गुणवत्ता नियंत्रक	भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डार गृह निगम/स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गुणवत्ता नियंत्रक विंग से सेवानिवृत्त अधिकारी

क्रं.	पदनाम	योग्यता	अनुभव
6	वाहन चालक	3.आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 4.चार पहिया वाहन लाईसेंस	किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राईवेट संस्थान में वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव

3. प्रथम पक्ष द्वारा लिखित सूचित किये जाने के 07 कार्यालयीन दिवस में द्वितीय पक्ष द्वारा मेनपावर पदस्थ कर दिये जायेंगे।
4. कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 07 दिवस तक मेनपावर के नियुक्त न होने या मेनपावर के बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 200/– की दर से कटौत्रा किया जायेगा। यह कटौत्रा देयक में से या अमानत राशि में से किया जा सकेगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर 18 वर्ष से अधिक उम्र के एवं 45 वर्ष की आयु से अधिक के न हों (केवल वित्त सलाहकार, गुणवत्ता नियंत्रक को छोड़ कर)।
6. मेनपावरों को सप्ताह में केवल एक साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। कार्यालयीन आवश्यकता होने पर उन्हें अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है जिसके लिये उन्हे किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की पात्रता नही होगी ।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये मेनपावर को माह में एक दिवस का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा एवं यह अपेक्षित होगा कि वह यदि कार्य से एक दिवस से अधिक अनुपस्थित होना/अवकाश पर जाना चाहता है तो वह इसकी पूर्व सूचना मुख्यालय को सात दिवस पूर्व दे तथा निविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यदि अकस्मात अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थिति की सूचना के सात दिन के भीतर निविदाकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी/अनुपस्थिति की अवधि हेतु निविदाकार को कोई भुगतान देय नहीं होगा परंतु सूचना के 07 दिन के उपरांत भी वैकल्पिक तौर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने

पर ऐसे प्रत्येक दिवस हेतु प्रति दिन रूपये 200 की पेनल्टी लगायी जाएगी, जो कि द्वितीय पक्ष के अगले देयक भुगतान में से वसूल की जाएगी।

8. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर प्रथम पक्ष द्वारा अक्षम पाये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा 2 कार्यालयीन दिवस में उनके स्थान पर नये मेनपावर पदस्थ किये जायेगें।

9. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर के द्वारा प्रथम पक्ष की संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाना सिद्व होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा संबंधित नुकसान की तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार भरपायी की जावेगी।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मेनपावर को न्यूनतम वेतन एक्ट के प्रावधान के अनुसार प्रति माह की 7 तारीख के पहले वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस आशय की स्वघोषणा पत्र प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न किया जाना होगा।

11. **यदि किसी भी मेनपावर द्वारा एजेंसी से कम भुगतान प्राप्त होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, तो श्रम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।**

12. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर मेनपावर की संख्या बढायी जाती है तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उसी प्रकार यदि प्रथम पक्ष द्वारा मेनपावर की संख्या घटायी जाती है तो भुगतान भी तदनुसार ही किया जावेगा।

13. द्वितीय पक्ष अपने समस्त मेनपावरों को मासिक परिश्रमिक/अन्य दायित्व समस्त भुगतान किए जाने के उपरांत एजेन्सी के द्वारा अपना मासिक देयक प्रतिमाह की 7 तारीख विपणन संघ मुख्यालय भोपाल में जमा करना होगा।

14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को प्रदाय किये गये कर्मचारियों का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 एवं सेवाकर का भुगतान संबंधित शासकीय विभागो को किया जावेगा **एवं प्रतिमाह के देयक के साथ उक्त भुगतानो से संबंधित दस्तावेज प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जावेगें**। तत्पश्चात् ही आगामी भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा।

15. अनुबंध अवधि के दौरान शासन द्वारा मेनपावर के हित में कोई नई Welfare Scheme प्रारंभ की जाती है तो उस पर आने वाला व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।

16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति माह के देयक के साथ विगत माह मेनपावरों का EPF एवं ESIC मद में जमा किये गये बैंक चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा देयक का भुगतान संघ मख्यालय से किया जावेगा।

17. मेनपावर के संबधं में वैधानिक भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रथम पक्ष के द्वारा मांगे जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

18. द्वितीय पक्ष अपने द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर को नियुक्ति पत्र जारी कर उसकी एक प्रति साथ में अहर्ता प्रमाणों, आधारकार्ड नंबर, बायोडाटा फोटो सहित के साथ प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।

19. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर के अच्छा आचरण एवं व्यवहार की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

20. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर यदि अभद्र व्यवहार, अमर्यादित आचरण या अशोभनीय कृत्य में लिप्त पाये गये तो प्रथम पक्ष कानूनी कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

21. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर द्वितीय पक्ष के मेनपावर रहेगें, उनके द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार से प्रथम पक्ष के कर्मचारी होने का दावा किसी भी मंच पर मान्य नही होगा।
22. श्रमायुक्त मध्यप्रदेश या जिला प्रशासन श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर घोषित वेतन वृद्धि का लाभ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उच्चकुशल, वाहन चालक के लिए कुशल एवं प्रोग्रामर, सहा.प्रोग्रामर, टैली कंसलटेंट, वित्त सलाहकार, गुणवत्ता नियंत्रक के लिए निर्धारित वेतन स्लेव हेतु समय–समय पर घोषित न्यूनतम वेतन धारा का पालन करना द्वितीय पक्ष का वैधानिक दायित्व होगा।
23. यदि किसी भी सक्षम शासकीय विभाग द्वारा निरीक्षण में मेनपावर को भुगतान के संबंध में अनियमितता पाये जाने पर अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है तो, उसे वहन करना द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
24. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओ के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कलेक्टर द्वारा श्रमिक हेतु निर्धारित दर EPF (नियोक्ता का अंशदान) ESIC अंशदान सेवा कर नियमानुसार एवं सेवा प्रदाता का सेवा शुल्क कार्यादेश के अनुसार भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त शासकीय दरों में समय–समय पर होने वाले संशोधनो को शमिल कर प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान किया जावेगा।
25. द्वितीय पक्ष को किये जा रहे भुगतान में से प्रथम पक्ष द्वारा आयकर का कटौत्रा किया जावेगा।
26. अनुबंध अवधि में मेनपावर/लेपटॉप के सेवा शुल्क में बढोत्तरी नही की जा सकेगी।
27. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये मेनपावर को निविदा फार्म में दर्शित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
28. अनुबंध अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा मेनपावर बदले जाने की स्थिति में विपणन संघ के मुख्यालय को पहले से सूचित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा मेनपावर का वेतन भुगतान बाधित हो जावेगा।
29. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं में कोई भी सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी, साथ ही लंबित देय राशि एवं EMD राजसात कर ली जावेगी।
30. इस अनुबंध की किसी भी कंडिका की व्याख्या का अधिकार केवल विपणन संघ के प्रबंध संचालक को होगा। इस अनुबंध एवं कार्य से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में विपणन संघ के प्रबंध संचालक ही आर्बीट्रेटर होगें एवं उनका निर्णय दोनो पक्षो पर बंधनकारी होगा।
31. विपणन संघ के प्रबंध संचालक को सभी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रतिवाद मान्य नही होगा।
32. यह कि यह अनुबंध प्रथमतः अनुबंध अवधि की दिनांक से आगामी एक वर्ष तक वैध होगा। इस समयावधि में दोनो पक्षों की सहमति से वृद्वि की जा सकती है।
33. **विपणन संघ में पूर्व एजेन्सी के माध्यम से पदस्थ मेनपावर को यथावत कार्यरत रखना होगा।**
34. नई अनुबंध अवधि के लिये नया अनुंबंध किया जाना होगा।
35. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये लेपटॉप के रख–रखाव का दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी का स्वंय का होगा।

निम्न गवाहों के समक्ष आज दिनांक———————— को दोनो पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अनुबंध हस्ताक्षर किया गया।

(सचिव) (————————————)

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 सेवा प्रदाता एजेन्सी

प्रपत्र–1

विपणन संघ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल

निविदाकार की विवरणी

कमांक	विवरण	
1	फर्म / एजेंसी / संस्था का नाम	
2	एजेंसी / फर्म / संस्था का पूरा वर्तमान और स्थाई पता	
3	हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद	
4	पत्र व्यवहार का पता	
5	दूरभाष कमांक	
6	ई–मेल का पता	
7	एजेंसी / फर्म / संस्था का प्रकार (पंजीकृत / पंजीकृत साझेदारी / एकल स्वामित्व)	(स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
8	पंजीयन कमांक एवं दिनांक (श्रमायुक्त कार्यालय का)	(स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
9	भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन कमांक एवं दिनांक	(स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
10	ई.एस.आई. में पंजीयन का कमांक एवं दिनांक	(स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
11	निविदा दिनांक को वैध निम्न पंजीयन विवरण • हस्ताक्षरकर्ता का पेन कार्ड नम्बर • फर्म / संस्था का पेन कार्ड नम्बर • सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर • ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन नम्बर • कर्मचारी राज्य बीमा निगम का रजिस्ट्रेशन नम्बर • जी0एस0टी0एन0 का पंजीयन एवं दिनांक	(स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)

12	एजेंसी का विगत 3 वर्षो का औसत टर्नओवर (रू.) वर्ष **2014–15** वर्ष **2015–16** वर्ष **2016–17** (चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित लाभ हानि पत्रक संलग्न करें)	
13	आयकर विवरणी वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में आयकर रिटर्न/विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें।	
14	यदि कोई आपराधिक प्रकरण में एजेंसी/फर्म के विरूद्ध दोषिता सिद्ध हुई है? हॉ अथवा नहीं	(यदि है तो अलग से विवरण देवें एवं शर्त के अनुसार दर्ज या अयोग्य घोषित नही होने की स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य है।
15	यदि केन्द्र/राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया है? हॉ अथवा नहीं	(यदि है तो अलग से विवरण देवें एवं शर्त के अनुसार दर्ज या अयोग्य घोषित नही होने की स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य है।
16	ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि की रसीद	**ई–रसीद संलग्न करें।**
17	यदि सेवा के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा हो तो उसका उल्लेख करें।	

नोटः– कॉलम 1 से 17 तक की समस्त जानकारी देना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं उन निविदाकारों के वित्तीय निविदा पत्रक नहीं खोली जावेगी।

–घोषणा पत्र –

1. मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं निविदा की समस्त नियम–शर्तो से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी पूर्ण सत्य है। यदि जानकारी असत्य पायी जाती है तो म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।
2. म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या, मुख्यालय भोपाल द्वारा योग्य एजेंसी के चयन संबंध में लिया गया निर्णय मै मानने के लिए पूर्णतः बाध्य हूँ।
3. मेरे/हमारे द्वारा दी गयी जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।
4. मेरे/हमारे प्रत्येक कार्य एवं संलग्न पत्रकों के विषय में कोई जांच की जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक

नाम...

दिनांक............/............/2018

वित्तीय निविदा प्रपत्र (2)

निविदाकार/सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम...

कमांक	विवरण	दर	
		अंकों में	शब्दों में
1	केवल मानवसंसाधन प्रदाय करने के लिए सेवा प्रभार की दर (न्यूनतम राशि रूपये 400/–)		
2	लेपटॉप उपलब्ध कराने का किराया प्रतिमाह (राशि रूपये में)		
	योग (1+2) कुल दर		

नोटः–

1. मानवसंसाधन हेतु न्यूनतम सेवा प्रभार की राशि रूपये 400 निर्धारित है। बिन्दु कमांक 1 में सेवा प्रभार का दर केवल राशि में ही मान्य की जावेगी।
2. वित्तीय निविदा के दोनों बिन्दुओं में दरे अंकित करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
3. बिन्दु कमांक 1 एवं 2 में प्रति मेनपावर के दर से राशि अंकित किया जाना होगा। राशि अंकों एवं शब्दों दोनों में भरा जाना हैं यदि अंको एवं शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेगी।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक

नाम...

दिनांक............/............/2018

प्रपत्र (3)

घोषणा पत्र

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि हमे/मुझे म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल की निर्धारित सभी शर्ते मंजूर है। तथा हमें/मुझे विपणन संघ मुख्यालय/मण्डल/जिला/गोदाम/कैपो/प्रागंणो में मेनपावर व्यवस्था की पूर्ण जानकारी है। हम/मैं इस पर सहमति देता हूँ कि आउटसोर्सिग व्यवस्था के लिये लगाये गये मेनपावरों को समय–समय पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर के आधार पर माह की प्रत्येक 07 तारीख पर भुगतान किया जावेगा। शासन के नियम/निर्देशों के तहत वैधानिक देय राशि कटोत्रे यथा ई0एस0आई0/ई0पी0एफ0 तथा सर्विस टैक्स आदि की राशि निविदा की शर्तो के अनुसार अनुबंधकर्ता संस्था से प्राप्त कर संबंधित शासकीय कार्यालय में जमा करूगा एवं प्रत्येक माह के देयक के साथ विगत माह के जमा दस्तावेज देयक के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करूगा। सर्विस टैक्स, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 सभी प्रकार के लेवी/टैक्स जमा करने संबंधी अनुबंध अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त प्रकार की राशि जमा करने की जिम्मेदारी हमारी/मेरी रहेगी। वैधानिक लेवी/टैक्स/सेस/पेनाल्टी की राशि जमा संबंधी विवाद में अनुबंधकर्ता संस्था उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदक के नाम/पद/हस्ताक्षर/सील के साथ

आवेदक/एजेन्सी का नाम......................................

पूरा पता..

...

...

दूरभाष/मोबाईल क्र0...

प्रपत्र–(4)

प्रदाय किये जाने वाले मानव संसाधनों का विवरण

क्रं.	पदनाम	मानव संसाधनों को न्यूनतम देय मासिक वेतन (रूपये में)	मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालय (संख्या अनुमानित)
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	अतिकुशल (वर्तमान दर 10,660/–)	65
2	लिपिक	कुशल (वर्तमान दर 9360/–)	01
3	वाहन चालक	कुशल (वर्तमान दर 9360/–)	02
4	ट्रैली कंसलटेंट	15,500/–	02
5	वित्त सहायक	22,000/–	01
6	गुणवत्ता सलाहकार	25,000/–	10
7	प्रोग्रामर	18,500/–	01
8	सहा.प्रोग्रामर	15,500/–	01

नोटः–

1. उपरोक्त कर्मियों की संख्या अनुमानित है जिसमें विपणन संघ मुख्यालय की अनुमति उपरांत वृद्धि की जा सकेगी जो कि उपलब्ध कराया जाना संबंधित एजेन्सी के लिये अनिवार्य होगा।
2. मानव संसाधानों को समय–समय पर परिवर्तित कलेक्टर रेट अनुसार भुगतान किया जावेगा।
3. सभी मानव संसाधनों को शासकीय नियमानुसार ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0, सर्विस टैक्स/जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक भुगतान किया जावेगा।

प्रपत्र–5

(अनुभव के संबंध में)

क्रं.	विभाग का नाम	विभाग का प्रकार (शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी)	समयावधि	मेनपावर की संख्या	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक
1					
2					
3					
4					
5					

नोटः– कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।

****